



Neutral Citation Number-2026:AHC:32150

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5798/2026

राजा राम और अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/ याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : आशीष कुमार मिश्रा, राजा राम पाल
प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्याय कक्ष संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्थी संख्या-2, यानी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, बुधनपुर, जिला-आजमगढ़ को यह निर्देश दिया जाए कि वे वाद संख्या 834/2025, (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या- टी-202515060600834), 'राजा राम बनाम लौटन और अन्य' का निर्णय, जो वाद संख्या-165/1992, यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 229बी से उत्पन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम, 2006 की धारा-144 के अंतर्गत, एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णीत करें।
2. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या-1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
3. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और इस मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है। इसमें प्रत्यर्थी संख्या-2, यानी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, बुधनपुर, जिला-आजमगढ़ को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, उक्त मामले का निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुसार करें, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

12 फरवरी, 2026

स्वाति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”